33/IV

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 429627

शिवानन्द-आनन्द माधव चेरिटेबिल ट्रस्ट का ट्रस्ट डीड

यह ट्रस्ट डीड श्री पार्थ यादव पुत्र श्री संजीव कुमार निवासी- 394, रामनगर, शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद (जो कि इस ट्रस्ट के गठनकर्ता हैं) द्वारा आज दिनांक 18-12-2007 ई0 को तैयार करके प्रस्तुत की गई है।

इस ट्रस्ट के गठनकर्ता श्री पार्थ यादव इसका निर्माण इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि शैक्षणिक एवं सामाजिक उत्थान एवं विकास के क्षेत्र में इस ट्रस्ट के माध्यम से सकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु गठनकर्ता द्वारा ट्रस्ट की परिसम्पत्ति रू0 5,000/- (रूपये पांच हजार मात्र) एकत्र किया है।

ट्रस्ट की नियमावली निम्नवत है -

1. **ट्रस्ट का नाम**- शिवानन्द-आनन्द माधव चेरिटेबिल ट्रस्ट

विद्यादेवी संजीव कुमार

क्रमशः.....2 पर

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 423628

2. ***ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय*** - 394, शम्भूनगर, शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद

3. ***ट्रस्ट के उद्देश्य निम्नांकित होंगे-***

1. स्कूलों, कालेजों एवं अन्य सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। ये संस्थाएं भारतीय संघ में किसी भी स्थान पर स्थापित की जा सकेंगी जिनमें बिना किसी भेदभाव के सभी समुदायों के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जायेगी।
2. शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं विभिन्न प्रकार के तकनीकी पर आधारित शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु शिक्षण संस्थाओं का प्रबन्धन करना एवं सहयोग प्रदान करना।
3. नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालय स्तरीय वाणिज्यिक औद्योगिक, तकनीकी, व्यवसायिक एवं अन्य सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक संसाधन जुटाना तथा उनका समुचित प्रबन्ध करना।
4. आवश्यकतानुसार प्रत्येक स्तर की शिक्षण संस्थायें, स्कूल, कॉलेज आदि संचालित करना एवं उनके प्रबन्धन करना।
5. छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अच्छे शिक्षक तैयार करने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं उनका उचित प्रबन्धन करना।
6. प्रौढ़ शिक्षा के विस्तार हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित करना।
7. स्कूल बच्चों, छात्रों एवं समाज के विभिन्न वर्गों के प्रेरणादायक प्रसंगों से अवगत कराने एवं उनके नैतिक, सामाजिक व मानसिक स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से बैठकों, भाषण मालाओं, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, सेमीनारों, सभाओं, अन्य प्रतियोगिताओं, अध्ययन एवं शोध कार्यों, खेलकूद, दर्शनीय एवं पर्यटन स्थलों के भ्रमण कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों आडियो-वीडियो, सिनेमा प्रदर्शन कार्यक्रम आदि का आयोजन करना।

विद्या देवी [illegible] [illegible]

क्रमशः ....3 पर

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

E 429629

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8. जन सामान्य के ज्ञान एवं बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से लाइब्रेरी, म्यूजियम व रीडिंग रूम आदि की स्थापना करना एवं उनमें जनोपयोगी पठन–पाठन व अन्य सामग्री उपलब्ध कराना।

9. प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियां, पारितोषक एवं निःशुल्क पुस्तकें आदि उपलब्ध कराना एवं उनको विकास के समुचित साधन उपलब्ध कराना।

10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार दान–अनुदान, सदस्यता शुल्क आदि ट्रस्ट के सदस्यों एवं अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं से प्राप्त करना एवं विभिन्न कम्पनियों, फर्मों, सोसाइटियों, बैंकों एव अन्य वित्तीय संस्थाओं से निर्धारित शर्तों पर ट्रस्ट के पक्ष में ऋण व पूंजी निवेश प्राप्त करना एवं ट्रस्ट की ओर से आवश्यक होने पर उक्त संस्थाओं में पूंजी निवेश करना।

11. समय समय पर प्राकृतिक एवं दैवीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सामग्री जैसे भोजन, कपड़े दवायें अस्थायी एवं स्थाई भवन आदि उपलब्ध कराना।

12. विकलांगों, अंग–भंग व शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को चिकित्सा एवं अन्य प्रकार की वांछित सहायता उपलब्ध कराना।

13. गरीब वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यक्रम चलाना एवं उनकी पुत्रियों की शादियों में आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

14. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराना एवं अनुत्पादक भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु विकास परियोजनायें चलाना।

15. धर्मार्थ, अस्पतालों, नर्सिंग होम, चिकित्सा सेवा केन्द, वृद्धावस्था–आवासगृहों आदि की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

विद्यादेवी

(क्रमशः.....4 पर

संजीव कुमार

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 429630

16. छात्रावासों एवं बोर्डिंग हाउसों की स्थापना करना व नौजवानों के शारीरिक विकास हेतु खेल के मैदानों का निर्माण करना तथा उन्हें खेलकूद व्यायाम हेतु आवश्यक उपकरण व सामग्री उपलब्ध कराना।
17. जन सामान्य की धार्मिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों को उचित दिशा में बढ़ावा देना एवं आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
18. लघु उद्योगों एवं हस्त शिल्प को विकसित करना।
19. गरीब वर्ग एवं जनता की सुविधा के लिए विवाह भवनों की देश के किसी भी भाग में स्थापना करना।
20. समाज के अक्षम व्यक्तियों/परिवारों को समय-समय पर आवश्यकतानुसार आवास, भोजन सामिग्री एवं वस्त्र इत्यादि निःशुल्क अथवा नोमीनल मूल्य पर उपलब्ध कराना।
21. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भूमि, भवन, स्कूल, कालेज एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं हेतु सभी प्रकार की चल-अचल सम्पत्ति को क्रय करना, विक्रय करना, अधिग्रहीत करना, बन्धक करना अथवा किसी विधि मान्य प्रकार से उस पर कब्जा करना।
22. सामाजिक/सांस्कृतिक उत्सवों एवं राष्ट्रीय पर्वों व महापुरुषों की जयन्ती आदि कार्यक्रम को आयोजित करना एवं उनके आयोजन में सहयोग करना। यदि ट्रस्ट अथवा उसके ट्रस्टीगण द्वारा उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी अन्य ट्रस्ट, सोसाइटी अथवा परियोजना को अंशदान या आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तो इस कार्य को भी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया कार्य ही माना जायेगा।
23. ट्रस्ट के सुचारु प्रबन्धन एवं कार्य संचालन हेतु देश के किसी भी भाग में क्षेत्रीय कार्यालय/विश्राम गृहों आदि की स्थापना करना।

क्रमशः.....5 पर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

E 429631

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4. *ट्रस्ट के ट्रस्टीगण-*

(क) ट्रस्टी का नाम/पिता/पति का नाम	पता	आयु
1. श्री पार्थ यादव पुत्र श्री संजीव कुमार	394 शम्भूनगर, शिकोहाबाद	20 वर्ष
2. श्रीमती विद्यादेवी पत्नी स्व0 श्री आनन्द माधव	394 शम्भूनगर, शिकोहाबाद	65 वर्ष
3. श्री अतुल कुमार पुत्र स्व0 श्री आनन्द माधव	394 शम्भूनगर, शिकोहाबाद	35 वर्ष
4. श्री राजीव कुमार पुत्र स्व0 श्री आनन्द माधव	394 शम्भूनगर, शिकोहाबाद	42 वर्ष
5. श्री संजीव कुमार पुत्र स्व0 श्री आनन्द माधव	394 शम्भूनगर, शिकोहाबाद	45 वर्ष

(ख) श्री पार्थ यादव इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी होंगे व श्रीमती विद्यादेवी ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी होंगी तथा ये दोनों अपने-अपने पदों पर आजीवन बने रहेंगे, जब तक कि इनमें से कोई स्वयं अपनी इच्छा से पद का त्याग नहीं करता है। यदि आकस्मिक अथवा स्वेच्छा से पद त्याग करने पर, मैनेजिंग ट्रस्टी का पद रिक्त होता है तो ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी स्वतः मैनेजिंग ट्रस्टी का पद ग्रहण कर लेगा तथा यदि ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी का पद रिक्त होता है तो शेष ट्रस्टीगण अपने में से मैनेजिंग ट्रस्टी/ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी को-आप्ट कर लेंगे।

(ग) अन्य ट्रस्टीगण में से दो- दो की संख्या में प्रति 3 वर्ष बाद रिटायर होते रहेंगे। प्रथम दो ट्रस्टी इस ट्रस्ट के गठन की तिथि से 3 वर्ष बाद रिटायर होंगे। रिटायर हुये ट्रस्टीगण पुनः को-आप्ट किये जाने को अर्ह होंगे।

(घ) मैनेजिंग ट्रस्टी एवं ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी अपनी स्वेच्छा से किसी भी ऐसे ट्रस्टी को जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो सके, ट्रस्ट का ट्रस्टी को-आप्ट कर सकेंगे।

(च) ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टीगण की अधिकतम संख्या 8 से अधिक नहीं होगी।

5. *प्रबन्धन-*

(अ) ट्रस्ट के प्रबन्धन तथा नियंत्रण के पूर्ण अधिकार इसके ट्रस्टीगण में निहित होंगे। ट्रस्टीगण को

क्रमशः.....6 पर

विद्यादेवी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

E 429632

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ट्रस्ट की ओर से चल-अचल सम्पत्ति क्रय विक्रय करने, ट्रस्ट के स्वामित्व की सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त करने एवं प्रदान करने, शिक्षण संस्थाओं के लिए व ट्रस्ट के लिए उपयोगी भवनों का निर्माण कराने, ट्रस्ट के हक में फन्ड, चल व अचल सम्पत्ति एवं पूंजी निवेश की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करने का पूर्ण अधिकार होगा।

ट्रस्टीगण का यह भी वैधानिक अधिकार होगा कि वे समय-समय पर ट्रस्ट के सुचारू प्रबन्धन एवं प्रशासन हेतु आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के नियमों व उपनियमों में परिवर्तन अथवा संशोधन करें अथवा नये नियमों/उपनियमों का निर्माण करें। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे नियम व उपनियम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(15) 11 से 13 एवं 80-जी के प्रावधानों के विपरीत न हों।

(ब) ट्रस्ट के सुचारू प्रबन्धन, आय-व्यय पर विचार करने एवं अन्य सभी प्रकार के मामलों के निस्तारण हेतु ट्रस्टीगण की अधिक से अधिक बैठकें आयोजित की जायेंगी परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि, एक वर्ष में कम से कम तीन बैठकें अवश्य आयोजित की जायेंगी।

(स) ट्रस्ट की बैठकों का कोरम कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति से पूर्ण होगा।

(द) ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा व मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुपस्थिति में ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा की जायेगी। मैनेजिंग ट्रस्टी व ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी दोनों की अनुपस्थिति की दशा में किसी अन्य ट्रस्टी द्वारा अध्यक्षता की जायेगी। बैठकों में सभी निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे तथा मतों की बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग किया जायेगा।

(य) बैठकों की समस्त कार्यवाही इसके लिए निर्धारित कार्यवाही पुस्तिका में अंकित की जायेगी।

(र) ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टीगण के अतिरिक्त अन्य ट्रस्टीगण में से जो ट्रस्टी लगातार तीन बैठकों में बिना कोई उचित कारण बताये तथा बिना पूर्व सूचना दिये अनुपस्थित रहेंगे उनकी

क्रमशः.....7 पर

विद्यादेवी राजीवकुमार

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

भारत

FIFTY RUPEES

रु.50

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 429633

ट्रस्टी के रूप में सदस्यता समाप्त कर दी जावेगी। परन्तु अन्य ट्रस्टीगण किसी उचित एवं विधि मान्य कारण के आधार पर ऐसे ट्रस्टी को उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त कर सकते हैं।

(ल) ट्रस्ट के प्रबन्धन एवं प्रशासनिक मामलों पर ट्रस्टीगण में मत विभिन्नता होने की स्थिति में बहुमत का निर्णय मान्य होगा तथा यह सभी ट्रस्टीगण के लिए अनिवार्यतः स्वीकार्य होगा।

ट्रस्टीगण के अधिकार-

1. ट्रस्ट के फन्ड का समुचित प्रबन्धन करना तथा इससे होने वाली आय, लाभ एवं ब्याज को प्राप्त करना एवं उस पर होने वाले व्यय व अन्य देनदारियों का भुगतान करना।
2. ट्रस्टीगण उन सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत होंगे जो उन्हें विशेष रूप से प्रदान किये गये हों तथा जो ट्रस्ट के सुचारू संचालन में उपयोगी एवं हित साध हो।
3. ट्रस्ट की ओर से बैंक एकाउण्ट खोलने एवं संचालित करने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी अथवा ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी में से कोई एक अथवा दोनों, ट्रस्टीगण द्वारा बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार अधिकृत होगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी शिक्षण संस्थान अथवा अन्य संस्था का बैंक एकाउण्ट ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी, ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी अथवा उस संस्था के प्रबन्धक में से किसी एक के नाम से ट्रस्टीगण द्वारा बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार खोला एवं संचालित किया जायेगा।
4. ट्रस्ट द्वारा अथवा ट्रस्ट के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत वादों की पैरवी, ट्रस्ट की सम्पत्ति के रख-रखाव एवं स्वामित्व की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ट्रस्टीगण का ही होगा इस कार्य हेतु ट्रस्टीगण द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी, ज्वाइन्ट मैनेजिंग ट्रस्टी अथवा अन्य ट्रस्टीगण में से किसी एक या एक से अधिक को अधिकृत किया जायेगा।

क्रमशः.....8 पर

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH E 429634

5. ट्रस्ट के ट्रस्टीगण इस ट्रस्टडीड द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों व उत्तरदायित्वों के निर्वहन के अतिरिक्त इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत प्राविधानित उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु भी प्रतिबन्धित रहेंगे।

6. ट्रस्टीगण को, अपने विवेक से लिये गये सामूहिक निर्णय द्वारा ट्रस्ट की किसी भी अचल सम्पत्ति या सम्पत्तियों को जो उनके स्वत्वाधिकार में है, को विक्रीत करने एवं आवश्यक होने पर ट्रस्ट के पक्ष में किसी चल व अचल सम्पत्ति को क्रय करने का पूर्ण अधिकार होगा। प्रतिबन्ध यह है कि ट्रस्ट के कार्य संचालन की प्रक्रिया के अन्तर्गत किये गये क्रय-विक्रय से यदि ट्रस्ट को कोई हानि होती है तो उसको ट्रस्ट द्वारा ही वहन किया जायेगा। साथ ही इस प्रकार किये गये प्रत्येक विक्रय से प्राप्त धनराशि को ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा किया जायेगा तथा क्रय किये जाने के लिए भुगतान हेतु वांछित धनराशि को ट्रस्ट के बैंक खाते से ही आहरित किया जायेगा।

7. ट्रस्टीगण किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी भारतीय अथवा विदेशी व्यक्ति या संस्था से स्वेच्छापूर्वक दिया गया दान, अंशदान, उपहार, मासिक/वार्षिक चन्दा, डोनेशन आदि प्राप्त कर सकेंगे।

8. ट्रस्ट के समस्त लेखे एवं आय-व्यय का विवरण लेखा-अभिलेखों में अंकित किया जायेगा। ट्रस्टीगण द्वारा प्रतिवर्ष 31 मार्च तक की समस्त प्राप्तियां एवं भुगतान लेखे, आय-व्यय तथा बैलेन्स शीट तैयार कराकर उसका किसी सुयोग्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से आडिट कराया जायेगा।

विद्यादेवी ... राजेन्द्र कुमार

क्रमशः ... 9 पर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 429635

9. ट्रस्टीगण द्वारा समय-समय पर ट्रस्ट के कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों यथा लेखा लिपिक, कार्यालय सहायक व अन्य कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति की जायेगी तथा उनके वेतन एवं भत्ते निर्धारित किये जायेंगे। ऐसे कर्मचारियों को देय वेतन एवं भत्ते ट्रस्ट के फण्ड से ही भुगतान किये जायेंगे।

10. ट्रस्टीगण समय-समय पर अपने बहुमत से लिये गये निर्णयानुसार ट्रस्ट की किसी सम्पत्ति या उसके अंश को बन्धक करके अथवा बॉन्ड, डिबेन्चर, रिसीट, प्रोमिजरी नोट अथवा प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित जैसा उचित समझें के द्वारा ट्रस्ट के लिये ऋण प्राप्त कर सकेंगे अथवा ऋण दे सकेंगे।

11. ट्रस्ट के सभी फन्ड आयकर अधिनियम की धारा 13 के प्राविधानों के अन्तर्गत ही प्रयुक्त किये जायेंगे।

7. यदि किन्हीं परिस्थितियों में ट्रस्ट को भंग अथवा समाप्त किया जाता है तो उसकी समस्त परिसम्पत्तियां ट्रस्टीगण द्वारा लिये गये निर्णयानुसार या तो समान उद्देश्य वाले किसी अन्य ट्रस्ट, सोसाइटी अथवा संस्था को हस्तान्तरित कर दी जायेगी अथवा ट्रस्टीगण में बांट दी जायेगी।

क्रमशः .....10 पर

विद्यादेवी

अनिल कुमार

संजीव कुमार

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 429636

अतएव हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता ट्रस्टीगण ने यह ट्रस्ट डीड आज दिनांक 18-12-2007 ई0 को तहरीर कर दी कि सनद रहे तथा वक्त जरूरत काम आवे।

मसौदाकर्ता- प्रेमनरायन, दस्तावेज लेखक, तहसील शिकोहाबाद।

साक्षी-

साक्षी-